

19⁰⁶/₂₅

पत्रावली पेश हुई। अधिवादी अनु०।
वाही भी अनुपास्थित। तीन बार कफ
-कफ कर आवाज लगाई गई, लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः
प्रकरण को अन्तर्गत आदेश ७ नियम
४ CPC अदम हाजिरी अदम पैरवी में
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार होफर नम्बर से कम होकर
बाह तामील तकमील दाखिल दफ्तरी है।



[Signature]
19/06/25
उपखण्ड अधिकारी
मिर्जापुर, जिला झालंधर (राजपू)

